बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,
खाद्य भवन, दरोगा प्रसाद राय, पथ, आर0ब्लॉक, रोड नं0-2-पटना।

पत्रांकः-02:15:17(अधि0)2017-966 दिनांक- 27/1/18

प्रेषक,

मुख्य महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति)
मुख्यालय, पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रबन्धक,
राज्य खाद्य निगम,
बिहार।

विषयः- CMR गोदाम का निरीक्षण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि खरीफ विपणन वर्ष 2016-17 में कुछ ऐसे दृष्टांत पाये गये हैं, जिससे परिलक्षित होता है कि CMR प्राप्ति एवं गुणवत्ता जाँच के समय भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित मानक का पालन नहीं किये जाने तथा CMR भण्डार का नियमित रुप से निरीक्षण नहीं किये जाने के कारण भण्डार में कमी एवं मानक के अनुकुल गुणवत्ता नहीं पाये जाने की शिकायतें प्राप्त होती रही है।

गत वर्ष के अनुभवों एवं अधिप्राप्ति वर्ष 2017-18 में CMR प्राप्ति जैसे महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्यो की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जायः-

1. निगम मुख्यालय के पत्रांक-12212दिनांक-01.12.2017 के कंडिका-5 में उल्लेखित "Uniform specification for common & grade 'A' Rice" शीर्षान्तर्गत निर्धारित मानक का पालन करते हुए ही CMR प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायगा।
2. प्रत्येक गोदाम में 20 लॉट अथवा 5000क्वीं0CMR प्राप्ति के पश्चात् संबंधित जिला प्रबंधक/अपर जिला प्रबंधक(अधिप्राप्ति) द्वारा भण्डारण एवं स्टैक वाईज गुणवत्ता की जाँच की जायेगी। यदि जाँच में भण्डारण अथवा गुणवत्ता में कोई कमी अथवा अनियमितता पायी जाती है तो अविलम्ब संबंधित जिला प्रबंधक को सूचित करते हुए इसकी सूचना निगम मुख्यालय को भी दी जायगी। जाँच हेतु विहित प्रपत्र अलग से दिया जा रहा है।
3. गोदामवार 40 लॉट अथवा 10,000क्वीं0 CMR प्राप्ति के पश्चात् जिला प्रबंधक द्वारा अनिवार्य रुप से भण्डार (Stock) एवं स्टैक वाईज गुणवत्ता की जाँच की जायेगी तथा एतद्संबंधी प्रतिवेदन मुख्यालय को भी उपलब्ध कराया जायेगा।
4. निगम मुख्यालय के पत्रांक-12212 दिनांक-01.12.2016 के कंडिका-1 में ''भण्डारण की व्यवस्था'' शीर्षान्तर्गत उल्लेखित दिशा निदेश का सभी CMR गोदाम प्रभारी द्वारा अनिवार्य रुप से अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायगा। उपर्युक्त निदेश के आलोक में ही CMR स्टैक वाईज भंडारण किया जायेगा तथा निम्न प्रारुप में स्टैक कार्ड (Talley Card) संधारित किया जायेगा ताकि समय-समय पर भौतिक सत्यापन करने में सहुलियत हो सके।

क्र0	तिथि	प्रारंभिक शेष		प्राप्ति			कुल		निर्गत			अवशेष	
		बोरा की सं0	मात्रा	पैक्स का नाम	बोरा की सं0	मात्रा	बोरा की सं0	मात्रा	गोदाम का नाम	बोरा की सं0	मात्रा	बोरा की सं0	मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

5. CMR गोदाम भर जाने के पश्चात् संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा भौतिक सत्यापन की जायेगी साथ ही निर्गत R.O.के विरुद्ध उठाव कराने के पश्चात् गोदाम खाली हो जाने के बाद प्रावधानानुसार गोदाम का Zero Verification (शून्य सत्यापन)किया जायेगा।
6. जिला प्रबंधक अपने जिलान्तर्गत माह में कम से कम एक बार सभी CMR गोदाम का सत्यापन/निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगें। जिला प्रबंधक यदि आवश्यक समझे तो दो या तीन सहायक प्रबंधकों की एक टीम गठित कर भी भौतिक सत्यापन करा सकते हैं।

अनु0-यथावर्णित।

विश्वासभाजन,

27/1

मुख्य महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति)।

ज्ञापांकः-02:15:17(अधि0)2017-966 दिनांकः-27/1/18

प्रतिलिपिः-सभी सहायक गोदाम प्रबंधक,सम्प्रति सी0एम0आर0 गोदाम प्रभारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

27/1

मुख्य महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति)

ज्ञापांकः-02:15:17(अधि0)2017-966 दिनांकः-27/1/18

प्रतिलिपिः-सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

27/1

मुख्य महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति)

ज्ञापांकः-02:15:17(अधि0)2017-966 दिनांकः-27/1/18

प्रतिलिपिः-प्रबंध निदेशक कोषांग, मुख्यालय,पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

27/1

मुख्य महाप्रबंधक,(अधिप्राप्ति)

RCM-27-01-18

सी0एम0आर0 गोदाम का जाँच प्रतिवेदन।

क्रमांक	गोदाम का नाम एव निबंधन संख्या	भण्डारण क्षमता	संघारित भंडार पंजी के अनुसार स्थिति			भौतिक सत्यापनोपरांत पाई गई स्थिति			गुणवत्ता की स्थिति	अभ्युक्ति
			स्टेक की कुल संख्या	बोरा की संख्या	मात्रा	स्टेक की कुल संख्या	बोरा की संख्या	मात्रा		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

जिला प्रबंधक,

नोटः-यदि किसी स्टैक की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं पाई जाती है, तो उस स्टैक की विवरणी देगें।